[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 27/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2021

सा.का.नि. (अ). सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आशवस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केंद्रीय सरकार एतद्वारा ऐसे माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, पर कथित प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत लगने वाले संपूर्ण सीमा शुल्क से, जब वह भारत में आयातित हो, छूट प्रदान करती है, यथा:-

सारणी

क्र. सं.	अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	29	रेमडेसिवीर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स
2.	29	बीटा सैक्लोडेक्सट्रिन (एसबीईबीसीडी), रेमडेसिवीर के उत्पादन के लिए, यदि आयातकर्ता सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करता है ।
3.	30	इंजेक्शन रेमडेसिवीर

2. यह अधिसूचना 31 अक्तूबर, 2021 तक, जिसमे यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[फाइल संख्या 354/3/2021-टीआरयू]

(गौरव सिंह)

उपसचिव, भारत सरकार